



अपील प्रकरण क्रमांक : A-278-PBR-15
प्रस्तुति दिनांक : 23.12.2014

माननीय पीठासीन अधिकारी, न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

गुलाबसिंह पिता श्री शंकर व अन्य, जाति भील
निवासी- ग्राम रणमल, बिल्लोद, तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

विरुद्ध

म.प्र. शासन

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

बी.पंकज पाण्डे अपीलार्थीगण
प्राचीन/अभिभाषक द्वारा दिनांक 23/12/2014
को प्रस्तुत

913/23-12-2014

बधीक्षक

..प्रत्यर्थी

म/० ०६२५
२-१-१५ को
२०५५५५५५
११
१५२५

१२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक... A-213-PBR/15 जिला... 3-दर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.10.2015	<p>आवेदक की ओर से श्री पंकज पाण्डे अभिभाषक उपस्थित। शाहमन या पुना गमा। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21.10.2014 के अन्तर्गत से स्पष्ट है कि अपा आयुक्त डा. विना आवेदक को पुनः सम्य सीमा के बिन्दु पर आदेश पालन किया गया है, जिससे आवेदक को पुनर्वास का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर, अपा आयुक्त को उस निर्देश के तहत प्रत्यावर्तन किया जाता है कि वह आवेदक को पुनर्वास के सम्य सीमा के बिन्दु पर आदेश पालन करें। आवेदक दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को अपा आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: right;">fateh nabey 18/11/15</p>